क्र० का० शा-I / डी-149 / दिनांक - 04-11-2022

File No. (Computer No. 113111)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण

कार्यालय "लेखा भवन" परिसर में वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिये ठेका देना चाहता है जिसके लिये इच्छुक व्यक्तियों से उनकी सील बंद दरें निर्धारित निविदा फार्म (अनुलग्नक–क) में उपमहालेखाकार (प्रशासन) के नाम से सचिवालय / उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, झांसी रोड लेखा भवन ग्वालियर में स्थापित निर्धारित निविदा बॉक्स में दिनांक 18.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक ऑफ–लाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा लिफाफे के ऊपर **"वाहन स्टैण्ड ठेका"** लिखना होगा। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त उक्त निविदायें दिनांक 18.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। निविदा के साथ बयाना राशि के रूप में रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) मात्र का किसी भी अधिसूचित बैंक का बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट जो कि भुगतान एवं लेखा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर (Pay and Accounts Officer, O/o PAG (A&E)-I Gwalior) के नाम देय संलग्न करना होगा। बिना बयाना राशि के प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म इस कार्यालय की बेवसाईट cag.gov.in/ae/gwalior-i/en से निःशुल्क डाउनलोड किये जा सकते है। वाहनों की संख्या के संबंध में कार्यालयीन समय में प्रातः10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व कभी भी अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा / ठेके के नियम शर्ते

1. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध करने से पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में स्वीकृत निविदा / ठेके की वार्षिक राशि के अनुसार छः माह की राशि के तुल्य राशि की किसी भी अधिसूचित बैंक की सावधि जमा र सीद जो "भुगतान एवं लेखा अधिकारी" कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर के पक्ष में 12 माह की अवधि हेतु बनवाकर प्रस्तुत करना होगी तथा रूपये 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
2. एक बार की गई निविदा, निविदाकार द्वारा वापस नहीं ली जा सकेगी तथा निविदा स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय द्वारा जारी किये जाने के पश्चात निविदाकार ठेका लेने से इंकार नहीं कर सकेगा अथवा अन्य कोई शर्त नहीं रख सकेगा। उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में निविदा के साथ जमा की गई प्रतिभूति राशि रू. 2,000 राजसात कर ली जायेगी।

3. ठेका सैद्धान्तिक क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि एक मुश्त वार्षिक रकम, जो मासिक आधार पर अग्रिम रूप से देय होगी तथा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी, के आधार पर दिया जायेगा। प्रत्येक माह का अग्रिम किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। किसी माह की 10 तारीख को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस को किराया जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त नियत तिथि तक यदि अग्रिम किराये की राशि जमा नहीं करने की स्थिती में रूपये 200/– (रूपये दो सौ) प्रतिदिन की दर से अधिभार चुकाना होगा। एक माह का अग्रिम किराया एक माह के अन्दर अधिभार सहित न देने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है, तथा ठेकेदार की जमा राशि भी राजसात की जा सकती हैं।

4. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि (अनुबंध निष्पादन की तिथि से 01 वर्ष तक) समाप्त होने पर ठेकेदार कार्यालय परिसर को तत्काल खाली कर देगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार के खिलाफ सरकारी–स्थान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

5. वाहनों की देखरेख के अतिरिक्त ठेकेदार किसी अन्य प्रयोजन के लिये वाहन स्टेण्ड या कार्यालय परिसर का कोई भी भाग प्रयोग नहीं करेगा न ही इसका कोई भी भाग अन्य व्यक्ति को किसी उद्देश्य से उप किरायेदारी पर देगा। यदि किसी भी अवसर पर ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो ठेके की प्रतिभूति राशि जब्त कर तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।

6. ठेकेदार को लेखा भवन में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली योग्य पार्किंग प्रभारों की निम्नलिखित दरों से वसूल करने का हक होगा।

   (क) साईकिल :– रूपये 11 प्रति साईकिल प्रति माह।

   (ख) मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कारः–रूपये 22 प्रति माह (हैलमेट सहित) वाहन में हैलमेट लॉक करने पर।

7. ठेकेदार कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रत्येक माह के प्रथम 10 कार्य दिवसों के अन्दर मासिक पार्किंग प्रभार ले सकता है।

8. वाहन (मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार) में आने वाले बाहरी आगन्तुकों से रूपये 2– (दो रूपया मात्र) तथा साईकिल के एक रूपये प्रतिवाहक प्रति दिन से अधिक वसूल नहीं किए जायेंगे। कार्यालय में सरकारी डाक लगाने वाले डाक वाहक एवं दूरभाष कर्मचारी इस वसूली से मुक्त रखे जावेंगे।

9. हैलमेट की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु स्कूटर/मोटर साईकिल में लॉक न करते हुए अलग से रखने पर मासिक दर रूपये 7/– (सात रूपये मात्र) प्रतिमाह तथा आकस्मिक ग्राहकों